

कदमा वाद पत्र नं० 39 सन् 2021

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
मे जारी हुए

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
विपक्षीय को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 14-1-22 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

पत्रावली प्रशासन गावो के संग अभियान
2021 केम्प ग्राम पंचायत टुंका मे पेश
हुई, वादी एवं प्रतिवादी से-07 को और
से शर्जीनामा प्रस्तुत किया, शर्जीनामे को
पढ़कर सुनाया गया। शर्जीनामा को उभयपक्षो
ने स्वीकार किया। शर्जीनामे मे बताया गया
कि वादी के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी अधि
कारो की पुष्टिनी व विभाजन से प्राप्त आराजी नम्बर
594/219 रकबा 0-2529 हेक्टर एवं आराजी नम्बर
595/218 रकबा 0-1585 हेक्टर भूमि कुल बिता 02
कुल रकबा 0-7714 हेक्टर भूमि ग्राम भोजपुर पट्टर
हल्का टुंका तः मांडल मे स्थित होकर संवत् 2070-
2073 की जमावंदी खाता सं- 83 मे वादी के नाम दर्ज रिकार्ड
थी। वादी के पिता का नाम वरदा होकर दादा जी का नाम
आरु था। प्रतिवादीगण के पिता व पति का नाम भी वरं
पिता वरदा था परन्तु प्रतिवादीगण के दादा जी का नाम
सदा था। प्रतिवादीगण के पिता एवं पति भी वरं पिता
वरदा दादा सदा का निधन हो जाने के उपरान्त उनके
नाम एवं आराजिपत्र का नामान्तरण खोलते वस्तु अल
वरा भा सेखन से वादी के नाम दर्ज उपरोक्त आराजिपत्र
को वादी के जीवित होने के बावजूद प्रतिवादीगण के पिता
एवं पति की हीना मानते हुए प्रतिवादीगण के नाम दर्ज



डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
संवत् 2021

कर दी गई, जब कि उक्त आराधियात से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है। एवं उक्त आराधियात वादी की अकेली ही होकर वादी के ही कब्जेकारत में है। ऐसी स्थिति में उक्त आराधियात में से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर पुनः वादी के नाम पर दर्ज किये जाने में मुझ प्रतिवादी सं. 7 को उजर एवराज एवं आपत्ति नहीं है। अतः राजीनामा को स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाकर उक्त आराधियात को पुनः वादी के नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजीनामा प्रा-पत्र का अध्ययन किया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर मनन किया। व्यायक्ति में वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादानुसार बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 इस आशय की डिंडी पारित की जाती है कि ग्राम मौजपुर बखार हल्का टंडूका तहसील माण्डल में स्थित आराधी नम्बर 594/219 रकबा 0.2529 हेक्टर एवं आराधी नम्बर 595/218 रकबा 0.5185 हेक्टर भूमि कुल किता 0.2 रकबा 0.7714 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी सं. 01 लगायत 08 का नाम विलोपित किया इन्फ्रान्त उरुस्त कर प्रतिवादी सं. 01 लगायत 08 के बजाय वादी अवंर पिता बरदा दुरोगा का नाम एवातेदार काश्तकार अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकार्ड में अमल दुरामद करे। तदनुसार डिंडी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

डॉ. ~~सुनील~~ तक्षेना

उपखण्ड अधिवक्ता माण्डल

प्रशासन भवन के संग जयपुर 2021

डिक्री

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

(आओ 20 नियम 6 / जाओदीओ)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री डां. पूजा सक्सेना (आरओएओसओ)

अनवान प्रकरण

श्री भंवर ७/० श्री बरदा दरोगा निवासी - भोजपुरा तहसील मांडल [वादी]

वजाम

श्री कौशल्या ०/० श्री भंवर दरोगा निवासी - भोजपुरा तहसील मांडल

श्री गृष्ठी ०/० श्री भंवर दरोगा

श्री गीता ०/० श्री भंवर दरोगा

श्री नन्दराम ७/० श्री भंवर दरोगा

श्री मनसा ०/० श्री भंवर दरोगा

श्री लक्ष्मी ०/० श्री भंवर दरोगा

श्री सायरी ७/० श्री भंवर दरोगा

श्री सांवर ७/० श्री भंवर दरोगा

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा मांडल तहसील मांडल

प्रतिवादीणद

वाद अन्तर्गत धारा २७७(१) मुकदमा नं०/वर्ष ३९/२५ निर्णय दिनांक ०६-१२-२५

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी

मिनजानिब मुददई व श्री राजेश तिवारी Adv. मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि शर्जीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार

किया जाकर आदेश दिया जाता है कि बल्क वादी विकट प्रतिवादी सं० १ लगायत

४ में इस आशय की डिक्री पारित की जाती है कि ग्राम भोजपुरा फखर हल्का

टडूका तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. ५९५/२१९ रकबा ०.२५२९ हेक्टेयर,

आराजी नं. ५९५/२१८ रकबा ०.५१८५ हेक्टेयर भूमि कुलकित ०.७७१४ हेक्टेयर

भूमि के राजस्व रेकार्ड में से प्रतिवादी सं० ०१ लगायत ०४ का

नाम विलोपित किया अन्फाज डुकस्त कर प्रतिवादी सं० ०१ लगायत ०४ के बजाय

वादी भंवर पिता बरदा दरोगा का नाम बवातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड

में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मांडल राजस्व

रेकार्ड में अमल इरामद करे। बच्चा फरिफैन अपना-अपना बहन करे।

आज तारीख ०६-१२-२५ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

डा. पूजा सक्सेना

सहायक कलेक्टर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

भीलवाड़ा जिला - भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021